17-1-17 पत्रावली पेश हुई। अपील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के
समन बाद तामिल प्राप्त हुए। जिन्हें तामिल पत्रावली में
आये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को अन्तिम
बार मौका विशेष आपको दिया जाता है उपरान्त भी
उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही लिये
जाने का आदेश दिया जाता है। अपील प्रार्थी ने एक तरफा
बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान
अपील प्रार्थी ने पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा
को स्थायी किये जाने की दरख्वास्त की।
पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन
किया गया। न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर पूर्व दिनांक 2-10-16 को जारी अस्थायी
निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के
विरुद्ध स्थायी की जाती है। पत्रावली के साथ अस्थायी
आदेश मूलवाद के साथ रखे जाने की।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा